

उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्स सहायता संस्थान की बैठक सम्पन्न
वार्षिक शिक्षा अनुदान की दरें दोगुनी की गईं

लखनऊ: 18 मई, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक की अध्यक्षता में आज राजभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्स सहायता संस्थान की वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में डा० शिव प्रताप यादव, राज्य मंत्री, जन्तु उद्यान प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा श्री सुधीर कुमार, सदस्य विधान सभा, श्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव, श्री ए०के० जैन, पुलिस महानिदेशक, श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त, मेजर जनरल आर०एस० मालवा, कर्नल टी०के० राय, श्री मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त, श्री चन्द्र प्रकाश, सचिव, श्री राज्यपाल, श्री रिजवान, पूर्व पुलिस महानिदेशक, श्री सुभाष कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पी०ए०सी० मुख्यालय, लखनऊ बैठक में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्स सहायता संस्थान की स्थापना 10 सितम्बर, 1963 को मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में जमा धन में से रुपये 1.50 करोड़ की धनराशि से की गयी थी। यह धनराशि एक ट्रस्ट के रूप में विनियोजित है। राज्यपाल इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा मुख्यमंत्री सेटलर (Settlor) होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्स सहायता संस्थान द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यम से परिचालित अन्य विशेष अभियानों में सक्रिय इयूटी के दौरान मृत्यु एवं स्थाई रूप से अपंग होने पर सैन्य बल, अर्द्धसैनिक बल तथा पुलिस/पी०ए०सी० एवं विशेष पुलिस बल में कार्यरत कर्मियों एवं आश्रितों के कल्याण के लिये कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। संचालित योजनाओं में मृत्यु/स्थाई रूप से अपंग होने पर अनुग्रह अनुदान धनराशि, लड़की की शादी के लिये आर्थिक सहायता तथा आश्रितों के बच्चों की वार्षिक शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

बैठक में वीरगति प्राप्त करने वाले सैन्य, अर्द्धसैन्य एवं पुलिस बल के बच्चों को दी जाने वाली सामान्य शिक्षा की वार्षिक शिक्षा अनुदान की दरें कक्षा 9 से 10 तक 2400 रुपये से बढ़ाकर 4800, कक्षा 11 से 12 तक 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये, स्नातक स्तर, बी.टी.सी., बी.एड, एल.टी., एल.एल.बी. तक 4200 रुपये से बढ़ाकर 8400 रुपये, स्नातकोत्तर स्तर, एल.एल.एम, एम.एस. डब्लू, एम.एड. को 4800 रुपये से बढ़ाकर 9600 रुपये, पी.एच.डी, एल.एल.डी तथा एम.फिल. की वार्षिक दरें 30000 रुपये से बढ़ाकर 60000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार प्राविधिक, मैनेजरियल एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आई.टी.आई. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिये 4800 रुपये से बढ़ाकर 9600 रुपये, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये, डिग्री पाठ्यक्रमों में 9000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये तथा बी.टेक., एम.टेक, तथा एम.बी.बी.एस., एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. की दरें 15000 रुपये से बढ़ाकर 30000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने सैन्यबल के मोटर ड्राइवर स्व० श्री श्यामवीर सिंह की पत्नी श्रीमती रामवती को तथा नायक स्व० श्री पन्नालाल यादव की पत्नी श्रीमती नीरा देवी को, पुलिस बल के सिपाही, स्व० श्री प्रदीप कुमार की पत्नी श्रीमती अनीता, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के हवलदार/जीडी स्व० श्री गुलाब यादव की पत्नी श्रीमती सविता देवी तथा सिपाही/जीडी स्व० श्री किर्तीकर निषाद की पत्नी श्रीमती मालती देवी को अनुग्रह अनुदान की टर्म डिपॉजिट रसीद की धनराशि रुपये दो-दो लाख प्रदान की।

श्री नाईक ने कहा कि इयूटी के दौरान वीरगति प्राप्त करने वाले सैन्य, अर्द्धसैन्य व पुलिस कर्मियों की सूचना संबंधित इकाइयाँ अपने स्तर से संस्थान को ससमय सूचित करें। इस अवसर पर प्रबन्ध समिति की पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा 2014-15 के वास्तविक आय-व्ययक लेखे का अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुमानित आय-व्ययक लेखे का भी अनुमोदन किया गया।





